



Neutral Citation No.- 2026:AHC:3572

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-42213 वर्ष 2025

तालिब आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: मार्तंड कुमार, राकेश पाठक

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची का पुनः पुकार किया गया।
2. श्री राकेश पाठक के अधिवक्ता श्री अभिषेक त्रिवेदी, आवेदक के अधिवक्ता, श्री सुनील कुमार, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता
3. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक द्वारा केस अपराध संख्या-103 वर्ष 2025 में धारा 103(1), 3(5) बी.एन.एस. और 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना-मसूरी, ज़िला: गाजियाबाद के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक एक अपंग व्यक्ति है, क्योंकि वह अपने निचले अंगों से चलने में असमर्थ है, इस प्रकार, उसके लिए मृतक पर आग्नेयास्त्र हथियार या हथौड़े से हमला करना असंभव है। आवेदक 16.4.2025 से जेल में है, इस प्रकार, उसकी कैद की अवधि नौ महीने है और आज तक एक भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है। वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
5. ततस्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर ज़मानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि आवेदक प्राथमिकी में एकमात्र नामित आरोपी व्यक्ति है। अपर शासकीय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिवक्ता ने आगे कहा है कि प्राथमिकी तुरंत दर्ज की गई है, इस तरह, आवेदक ज़मानत का हकदार नहीं है।

6. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्राथमिकी तुरंत दर्ज की गई है और आवेदक उसमें एकमात्र नामित आरोपी व्यक्ति है, मुझे यह आवेदक को ज़मानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता। ज़मानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

7. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702**, के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

7 जनवरी, 2026

शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)